श्री जीवन राय : ऐसा नहीं है, मैडम, जन्होंने जो एडक्टाइजमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि जिसका 500 करोड़ रुपया है वही खरीद ले और फैक्टरी का भाव जो एक लाख करोड़ है तो 500 करोड़ वाले क्या मॉडनीइज करेंगे? How can I accept his assurance.

SHRI BRAJ KISHORE TRIPATHY: Therefore, I request the hun. Members to pass this Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: When they try to sell it, they will have to come to Parliament. At that time, you can discuss it. Let us repeal the Bill.

श्री दीपांकर मुखर्जी : मैडम ...(व्यवधान)... पार्लियामेंट के पास नहीं आया। ...(व्यवधान)...

उपसमापति : कल तो आपके पास आया था। ...(व्यवधान)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: I shall put the motion moved by Shri Brai Kishore Tripathy to vote. The question is:

> *That the Bill to repeal the Iron and Steel Companies Amalgamation Act. 1952 and the Indian Iron Steel Company (Taking Over of Management) Act, 1972 as passed by Lok Sabha. be taken into consideration."

> > The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI BRAJ KISHORE TRIPATHY: Madam, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE MOTOR VEHICLES (AMENDMENT) BILL, 2000

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now we will take up the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2000.

जल भूतल परिवहम मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : उपसभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि,

> "मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में उसे लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए। "

महोद्रया, जैसी कि सभी सम्माननीय सदस्यों को जानकारी है यह मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 एक सेट्रल एक्ट है जिस के द्वारा हम रोड ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करते हैं और इस एक्ट ने सचमुच बहुत ही पुराने 1939 के एक्ट को रिप्लेस किया था। महोदया, 1939 के एक्ट को रिप्लेस कर के 1988 का एक्ट बनाने के पीछे तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति, सुरक्षा और प्रदूषण - ये तीन कारण प्रमुख रूप से थे जिन की वजह से 1939 के पुराने एक्ट को बदल कर 1988 का मोटर व्हीकल एक्ट बनाने की आवश्यकता हुई। बाद में फिर यह आवश्यकता महसूस की गई कि 1988 के मोटर व्हीकल एक्ट में भी कुछ संशोधन किया जाना चाहिए। इसलिए वर्ष 1994 में भी इस मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 में कुछ संशोधन हुए थे। लेकिन अब पुन: यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि इस मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 में कुछ और अमेंडमेंट्स किए जाएं। इसलिए यह जो अमेंडमेंट्स बिल लेकर हम यहां सदन के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं, उस के कुछ साइलेंट फीचर्स मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों के समक्ष मेंशन कर देना आवश्यक समझता हूं।

मैडम. एक तो मोटर व्हीकल एक्ट. 1988 के सेक्शन 52 के सब-सेक्शन 1 में मोटर व्हीकल्स में आल्टरेशन करने के संबंध में अब यह व्यवस्था की जा रही है कि किसी भी मोटर व्हीकल में ऐसा कोई आल्टरेशन नहीं किया जाएगा जो कि ऑरिजनल स्पेसिफिकेशन से मित्र हो। मैडम, सामान्यतः होता यह या कि मोटर व्हीकल्स में अन-कंट्रोल्ड आल्टरेशन होता रहता था जिस के कारण सुरक्षा के साथ-साथ प्रदुषण का संकट भी बढ़ता था। इसलिए यह व्यवस्था इस मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 52 के सब-सेक्शन 1 में की जा रही है। साथ ही सब से महत्वपूर्ण बात यह है कि हम यह भी व्यवस्था कर रहे हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन मोटर व्हीक़ल्स के एंजिन आदि में इस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकेगा जिस से कि हम ऐसे ऑटो-पयुएल्स का प्रयोग कर सकें जो कम-से-कम प्रदूषण पैदा करें। मैडम, इस संशोधन के माध्यम से हम यह अनुमति दे रहे हैं कि एल.पी.जी. प्रयुएल्स का प्रयोग अब मोटर व्हीकल्स में किया जा सकेगा। यहीँ सब से महत्वपूर्ण संशोधन इस बिल का है। इस के अतिरिक्त हम इस में यह भी व्यवस्था कर रहे हैं कि किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेत केन्द्र सरकार इस धारा के अधीन आल्टरेशन के लिए निर्धारित पद्धित से भित्र प्रकार का आल्टरेशन करने की छट दे सकती है। अब एक्ट के फ्रेमबर्क के अंतर्गत रहते हुए स्टेट गवर्नमेंट्स भी रूल बना सकती हैं, यह व्यवस्था भी हम ने सिनिश्चित की है। मैडम, एक व्यवस्था हम और इसी धारा 52(1) में कर रहे हैं कि जिन के पास 10 से अधिक व्हीकल्स हैं वे अपने व्हीकल का एंजिन सेम मेक टाइप के एंजिन से बदल सकें और इस की अनुमति राज्य सरकारों द्वारा जो भी कंडीशंस निर्धारित होंगी, उन कंडीशंस के अंदर देने की व्यवस्था की जा रही है। अब इन व्हीकल्स ओनर्स को हम यह भी स्विधा प्रदान कर रहे हैं कि यदि वह किसी भी प्रकार का आल्टरेशन व्हीकल में करते हैं तो उस की सचना 14 दिन के अंदर रजिस्टरिंग अथॉरिटी को उपलब्ध करा सकें ताकि जो भी आल्टरेशन हुआ है. वह रजिस्टरिंग अथॉरिटी अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर सके। वहीं पर एक छोटा सा अमेंडमेंट इस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सैक्शन 58 के सब-सैक्शन 4 में कर रहे हैं। इस सैक्शन में हार्ड

कैपिसिटी का टायर बदलने की व्यवस्था थी, जिसका दुरुपयोग किया जाता था और जिससे व्हीकल्स पर ओवर लोडिंग होती थी। हम इस ओवर लोडिंग को रोकना चाहते हैं. इसलिए इस सैक्शन 58(4) को हम मोटर व्हीकल एक्ट 1988 से डिलीट कर रहे हैं। इसी मोटर व्हीकल एक्ट के सैक्शन 66 के सब-सैक्शन 3 के क्लाज-एच को भी हम डिलीट कर रहे हैं और उसे इसलिए डिलीट कर रहे हैं क्योंकि जो शिक्षण संस्थाएं थीं, उनको इस धारा के अंतर्गत बस का परिमट लेने की कोई छट नहीं थी और महोदया, आपको इस बात की जानकारी होगी कि दिल्ली में भी इसी प्रकार की एक गंभीर बस दर्घटना स्कल बस से हुई थी, जिस पर इसी सदन के माननीय सदस्यो ने गंभीर चिंता व्यक्त की थी। तभी से यह विचार किया गया कि शिक्षण संस्थाओं में जो बसें चलती हैं, उनके लिए भी अनिवार्य कर दिया जाए कि उनके पास परिमट हो ताकि हम सेफ्टी नॉम्स का कड़ाई के साथ पालन कर सकें तथा जो और दूसरे नॉर्म्स होते हैं उनका भी हम सहजतापूर्वक पालन कर सकें। वहीं पर इस मोटर व्हीकल एक्ट के सैक्शन 217, यह एक सेविंग क्लाज है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का और इस सेविंग क्लाज की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी कि जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट 1939 था, उस 1939 एक्ट के अंतर्गत उसमें डाइविंग लाइसैंस, रजिस्ट्रेशन, परिमट जो कुछ भी मिला हुआ था, उसका रिन्युअल करने की आवश्यकता थी। यह सेविंग क्लाज 1988 के एक्ट में आया, लेकिन उस परपज को यह फूलफिल नहीं कर पा रहा था। इसलिए यह आवश्यक समझा गया कि अब सैक्शन 217 को बेहतर करने के लिए एक नया सैक्शन जोड़ दिया जाए और इसलिए एक नया सैक्शन 217 (ए) हम इसमें इन्सर्ट कर रहे हैं. इंट्रोडयुज कर रहे हैं।

बस ये ही चार संशोधन हमारे इस अगेंडमेट बिल में हैं। इसलिए मैं सभी सम्माननीय सदस्यों से अनुरोध करुंगा कि वै इस विधेयक पर विचार करे और इस विधेयक को सर्वसम्मित से पारित करने की कृपा करें।

The question was proposed.

उपसभापति : श्री संतोष बागड़ोदिया। ऐबसेंट।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात): महोदया, माननीय मंत्री जी ने अभी यहां जो बाते कहीं कि बिल बहुत छोटा है और जिन उद्देश्यों के साथ सरकार यह बिल ला रही है, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन मुझे दो-तीन बातें कहनी हैं।

महोदया, आजकल नए युग में, नए ज़माने में, जब साइंस आगे बढ़ रही है और जो नई इन्फॉरमेशन टैक्नोलॉजी आ रही है. उस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह बिल 1939 में बना, फिर 1988 में इसमें कुछ सुधार हुआ, फिर 1994 में इसके कुछ प्रावधान बदले गए और अब इसमें चार रौक्शन लेकर आप यहां आए हैं. आपका यह जो सुधार है, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। इको फ्रेंडली प्रयूल की बात आपने बताई है ऐम्स एंड ऑब्जेक्ट्स में और कहा है कि इससे पाल्यूशन कम होगा, यह सही है। मैं इन्फॉरमेशन टैक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। गुजरात में अभी इसका प्रयोग हुआ है। मैं जब यहां इस बिल की चर्चा कर रहा हूं तब यह बताना चाहूंगा, शायद आपको तो पता ही होगा, कि वहां पर 4 लेन की रोड्स बनी हैं कई जगहों पर। इन 4 लेन की रोड्स पर आर टी.ओ. के जो ऑफिसिस हैं, जो उनकी चौकियां लगी हैं, वहां पर एक कम्प्यूटर सिस्टम डेवलप किया गया है। सामने से जब ट्रक आता है, दो-तीन कैमरे लगे हुए

हैं और उनमें उस ट्रक का नम्बर आ जाता है। सारा सिस्टम डेवलप करके, कम्प्यूटराइज करके वहां रखा गया है और ट्रक की सारी डिटेल उस कम्प्यूटर में आ जाती है।

महोदया, कंप्यूटर में इस तरह की इन्फॉरमेशन आ जाएगी कि इस ट्रक का रिजस्ट्रेशन नंबर क्या है, यह ट्रक कौन से स्टेट का है, उसका वजन क्या है, उसने टैक्स पे किया है अथवा नहीं, यह सारी इन्फॉरमेशन कंप्यूटर पर आ जाती है। जब वह ट्रक चौकी पर आएगा तो वहां सारी इन्फॉरमेशन आ जाएगी। जब वह ट्रक वहां खड़ा रहेगा तो उस पर ओवरलोड़ है या नहीं, उसने कितना टैक्स पे किया है, यह सारी जानकारी कंप्यूटर पर आ जाएगी और अहमदाबाद के सेंट्रल ऑफिस में भी कंप्यूटर पर यह सारी जानकारी आ जाएगी। कोई अगर भागने की कोशिश करेगा तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि उसका टायर फट जाएगा। मैं मानता हूं कि यह अच्छी बात है कि सारे देश में इसे लागू किए जाने की योजना है। गुजरात से यह योजना शुरू हुई है और करीब 10-11 चौकियां बनने वाली हैं, इनमें से 6 शुरू हो गई हैं। मैं मानता हूं कि यदि इस प्रकार की किसी टेक्नोलॉजी का प्रावधान आप इस बिल में लाते तो अच्छा रहता। महोदया, जितनी आमदनी पहले गुजरात को होती थी, वह अब 22 प्रतिशत बढ़ गई है पिछले 6 महीनों में और पहले जो चोरी हो जाती थी, उसको रोककर 6 करोड़ रुपए का खर्चा पिछले 3 महीनों में निकल गया है। ऐसा कुछ ग्रावधान अगर आप इस बिल में रखते तो अच्छा रहता।

महोदया, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो स्कूलों के लिए व्यवस्था की है. वह अच्छी है लेकिन जब आप रूल्स बनाएं, तब उन रूल्स में बच्चों के लिए जो बसें चलाई जाएंगी, उनमें कुछ टैक्स या दूसरे चार्जेज न लगाए जाएं ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो काम कर रहे हैं. उनको भी कुछ फायदा हो।

महोदया, मंत्री जी ने जो पयुल के बारे में बताया है प्रोविजो (1) में कि - different type of fuel or source of energy including battery, compressed natural gas, solar power, liquid petroleum gas or any other fuel or source of energy..." मुझे लगता है कि ये शब्द यहां रखना ठीक नहीं है। आपने यहां 3 चीजों को स्पैसिफाई किया है। पेट्रोल में, नैण्या में कुछ मिलावट करके सोर्स ऑफ ऐनर्जी बन गया तो उससे चलेगी गाड़ी। कोई केरोसिन से चलाएगा, वह भी सोर्स ऑफ ऐनर्जी है। कोई लकड़ी से चलाएगा, वह भी सोर्स ऑफ ऐनर्जी है। इसलिए इसे स्पैसिफाई करना चाहिए। यह पावर जो हम ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में दे रहे हैं

उपसभापति : लकडी से कैसे चलेगी?

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे : मैंडम, अब तो पानी से चलने वाली है, अब तो वनस्पति से चलने वाली है। तिमलनाडु में किसी ने शोध किया है और उसने वनस्पति से कुछ ऐसा लिक्विड निकाला है जिससे हम मोटर व्हाईकल चलाएंगे। आपने 3 चीजों के लिए स्पैसिफाई किया है, मैं मानता हूं कि यह सही है लेकिन पीछे जो शब्द यूज़ किए हैं - "any other source of energy", ये शब्द इसमें नहीं रखने चाहिए। आप एक्सप्लेन करिए, मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं है लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अभी इसमें दुरुपयोग की बहुत गुंजाइश है। इसलिए मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। वैसे आपने बिद्धया बिल बनाया है।

3.00 P.M.

मैडम, नए जमाने में गैस से चलने वाली गाड़ियां आ जाएं, गैस का पंप बन जाए, लोगों को सुविधा मिले, यह अच्छी बात है। वैसे मैं मानता हूं कि जब तक इस देश के हर गरीब के घर में गैस न आ जाए, तब तक गाड़ियों के लिए गैस नहीं देनी चाहिए। गरीब आदमी की भी इच्छा है कि उसके घर में गैस का चूल्हा जले। अगर हम गैस से गाड़ियां चलाएंगे तो वहां तक पहुंचने में हमें बहुत समय लगेगा। मैं मानता हूं कि आपने कुछ प्रावधान किए होंगे, आपके पास कोई ऐसी गैस होगी जिससे गाड़ियां चलें।

महोदया, आज पौल्यूशन का सवाल बहुत बड़ा है। बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कलकत्ता आदि में पौल्यूशन की मारी समस्या है लेकिन यह एक छोटा ऐरिया है और इन 4-5 बड़े शहरों तक मारूत सीमित नहीं है। भारत बहुत बड़ा देश है। यहां ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और वहां तक हमें जाना है। वहां पौल्यूशन का इतना बड़ा सवाल नहीं है। लेकिन आप पहले से सोच रहे हैं, यह अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं समर्थन कर रहा हूं। आपने बहुत बढ़िया काम किया है। दूसरी बात, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पॉवर्स रखी हैं। जो प्रोविजो-थर्ड सैक्शन-51, 52वन Provided that the Central Government may grant exemption for alteration of vehicle in a manner other than specified above for any specific purpose.

उसमें मुझे लगता है कि जब हम डि-सेंट्रलाइज कर रहे हैं तो यहां तक लोगों को नहीं आना पड़े तो स्टेट गवर्नमेंट को भी यह पॉवर्स दी जाएं और एक शब्द -'स्टेट गवर्नमेंट' उसमें जोड़ना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूं। सैक्शन 52-2 में आपने पांचवीं लाईन में बताया है कि And permit any person owning not less than 10 transport vehicles.

मुझे लगता है किसी के पास एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और किसी आदमी के पास 10 में ज्यादा हैं तो यह क्यों रखा गया है भेरी समझ में नहीं आता। किसी के पास एक हो और उन्होंने अल्ट्रेशन कराए तो 14 दिन के बाद वह आपके आफिस में जाकर जानकारी दे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन दस व्हीकल वाला आदमी कर सकता है और एक वाला आदमी नहीं कर सकता है और आपने जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल वर्ड यूज किया है सैक्शन - 3 में Where any alteration has been made in a motor vehicle यह एक दूसरे के विरोधाभाषी हैं। ऊपर आपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल बताया है और नीचे आप मोटर व्हीकल बतला रहे हैं और यह मोटर व्हीकल की जगह ओबलिक करके ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपको करना चाहिए, वरना यह मामला कभी न कभी कोर्ट में जाएगा और फिर वही झमेला खड़ा हो जाएगा क्योंकि दोनों विरोधाभाषी हैं। आप नीचे मोटर व्हीकल कह रहे हैं और ऊपर ट्रांसपोर्ट व्हीकल कह रहे हैं।

तीसरी बात, हमारे समाज का एक छोटा अंग है जो लोग हेंडीकेप्ड हैं। अब उनके लिए नए-नए साधन निकल रहे हैं। वह भी लोग गाड़ियां चलाते हैं। तो उनके लिए हमने कोई प्रावधान यहां पर नहीं किया है। मैंने रूल्स भी देखे हैं, जब 1994 में ऐक्ट बना और लम्बे अरसे के बाद उनके रूल्स फ्रेम हुए ते कई लोगों को बहुत दिक्कत हुई। जो हेंडीकेप्ड लोग हैं -िकसी का हाथ दूट गया, किसी का पांव टूट गया वे लोग वैसी गाड़ियां चलाते हैं उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो यह प्रावधान करना चाहिए। आपने आल्ट्रेशन करने का प्रावधान यहां पर किया है। लेकिन एक प्रावधान और भी जरूरी है कि इंजन के हॉर्स पॉवर्स में कुछ अदल-बदल नहीं हो पाएगी। 10 हॉर्स पॉवर्स की, 25 हॉर्स पॉवर्स की मशीन होगी वह उतनी ही रहेगी, आल्ट्रेशन करने के समय

कोई उसमें ज्यादा आल्ट्रेशन नहीं करेगा इंजन में। फिर ब्यूरोक्रेट के हाथ में सब मामला चला जाएगा तो भी मैं मानता हूं कि हॉर्स पॉवर्स कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। आपने स्पंसिफिक उद्देश्य बताया है कि उसमें कोई बेसिक फेरबदल नहीं होगा तो वह वही रहना चाहिए और उसी तरीके से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस ऐक्ट का फायदा देशवासियों को होगा और तब मैं मानता हूं कि बहुत अच्छी चीज यहां पर लाए हैं। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। जो दो-तीन बातें मैंने यहां पर बताई आप उनके बारे में हमको बतला दीजिए। कोई नई बात सोचकर लाएं और आप करें तभी अच्छा रहेगा। इसी वजह से मैं इस ऐक्ट का हृदयपूर्वक सम्मान करता हूं और समर्थन करता हूं।

SHRI NILOTPAL BASU: (West Bengal) Madam, it was decided in the morning that the Home Minister would make a statement. (Interruptions)...

THE DEPUTY CHAIRMAN: After the hon. Member had finished his speech, I was going to inform the House ... (Interruptions)... When the hon. Member was speaking, on enquiring about the statement of the Home Minister, I was informed by the Parliamentary Affairs Minister that the Home Minister would be making a statement in the Lok Sabha at 4 o' clock. There may be a few clarifications. Immediately after that he will come over here. I cannot specify the exact time, but it will be definitely not before 4 o' clock and will not be later than 5 o' clock. It will be sometime between that when he will be here. As soon as he finishes there, he will come here. I wanted to inform about it earlier but I did not want to disturb the speech of the hon. Member. ... (Interruptions)...

SHRI NILOTPAL BASU: Madam, I also did not want to disturb. ..(Interruptions) ...

THE DEPUTY CHAIRMAN: It would be very nice if you do not disturb each other. ...(Interruptions)...

I would like to add one more point to this school thing. All the school buses carrying children should be painted in one colour either yellow or blue or green or whatever is identified so that people are able to know that this is a school bus. All over the world this system is in existence. In Delhi some buses are following it and some are not. So, I think they should be of one colour.

श्री बालकवि बैरागी (मध्य प्रदेश): मैडम, आपका सुझाव सारे देश पर लागू होना चाहिए।

उपसभापतिः हाँ, सारे देश की बात हो रही है। हम सारे देश की बात कर रहे हैं।

*श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): मैडम, आप जैसे सुझाव दे रही थीं ऐसे कई सुझ na इस देश में जो लोग गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं और उसके लिए मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है, चाहे वह प्राइवेट हो, चाहे वह पब्लिक के लिए हो। इसी तरीके से जो लोग सडक पर सफर करते हैं और मोटर व्हीकल के शिकार होते हैं, उनकी तरफ से भी सुझाव है। हालांकि यह बहुत छोटा-सा बिल है, लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कह रहा हूं, मैडम, मैं आपकी तवज्जी चाहुंगा कि इस पर निर्णय चेयरमैन साहब को लेना है, मेरा प्रस्ताव मंत्री जी के पास और आपके जरिए से चेयरमैन साहब के पास भी है कि इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। इसको स्टैंडिंग कमेटी में इरालिए भेजा जाना चाहिए जिससे कि कम्प्रेहेंसिव अमेंडमेंट हो सके। यह तो बहुत इम्पॅटिंट अमेंडमेंट है। इसमें हमारी कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके साथ एक-दो मामले ऐसे जड़े हए हैं जो इन वन यो हो जाने चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा और एक सिटिंग मे ही यह मामला क्लियर हो जाएगा। हम यहां पार्लियामेंट में कानून बना रहे हैं और यह डिपार्टमेंट ऐसा है, मंत्री महोदय यहां पर बिल को पायलेट करे हें, लेकिन इस बिल को जब इम्पलीमेंट करते हैं, तो जो इंटरफेस होता है, वह न तो पार्लियामेंट है और न ही मंत्री महोदय का डिपार्टमेंट है। स्टेट गवर्नमेंटस के पास मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है। उसके साथ जो मोटर व्हीकल्स युजर्स हैं, उनका इंटरेक्शन होता है, इंटरफेस होता है। अगर आप हमारे देश में भ्रष्टाचार की बात करते हैं, परेशानी की बात करते हैं, कम्प्रेहेंशन प्रोसेस की बात करते हैं, दिक्कतों का सामना करने की बात करते हैं तो किसी भी स्टेट में आप जाइये, इनक्लुडिंग मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूं, किसी भी स्टेट में आप जाइये, यहां दिल्ली में जाइये, यहां पर दिल्ली की सरकार है या दवे जी आप अपनी स्टेट में जाइये तो देखेंगे कि लोग परेशान होते हैं, चाहे डाइविंग लाइसेंस के रिन्युअल का मामला हो या मोटर व्हीकल के लाइसेंस के रिन्युअल का मामला है, जबकि हम सब कह रहे हैं कि लिबरलाइजेशन सब धीज का हो रहा है। हरएक मामले पर भ्रष्टाचार का जमघट वर्षों से लगा हुआ है। यह अंग्रेजों के जमाने से हो सकता है। मैं चाहता हं कि जब मंत्री महोदय यह तब्दीली ला रहे हैं तो इस भामले की भी नजरेसानी की जा सकती है और इसमें एक ऐसा प्रावीजन लाया जा सकता था जिससे यह और भी ज्यादा इजीयर युजर्स की हैसियत से. सिटीजन्स की हैसियत से हो जाता। मैं यह कह रहा हूं कि यह उनकी मांग है और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट के अन्दर जो घपला होता है, आप स्टेंट गवर्नमेंट्स को रोजाना तो मदाखलत नहीं कर सकते इस कानून के जरिए से। आप उसको आसान कर सकते हैं क्योंकि इसमें दुआएं तो आपको मिलेंगी। स्टैंडिंग कमेटी में सभी पार्टी के सदस्य, सभी स्टेट के सदस्य होते हैं। जैसा आपने कहा कि इसको तो जरूर करना है, एलपीजी करना है, सीएनजी करना है इसलिए आप इसको लेकर आ रहे हैं। हम भी पीसमील में करते हैं, इस बिल के बारे में नहीं है दुसरे बिल के बारे में हमेशा यही होता है। हमारे सामने एक दिक्कत आ जाती है आप एक बिल लेकर आ जाते हैं। आप 1988 के कानून को अभी बदल रहे हैं जब आप इसको 12 साल में बदल रहे हैं तो इसमें एक-दो प्रावीजन और भी बदल देने चाहिए। यह और भी ज्यादा युजर्स फ्रेंडली. और भी ज्यादा मोटर व्हीकल आनर्स फ्रेंडली हो सकता था। इसीलिए मैं इसे स्टैंडिंग क्रोटी में भेजने की बात कह रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि इसी सत्र के अंदर आपको वह

^{*}Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

अमेंडमेंट देकर वापस भेज दे। चूंकि यह पैसेंजर फ्रेंडली, यूजर्स फ्रेंडली का मामला है इसलिए वह आपको मदद करेंगे और इसी सत्र के अंदर यह बिल पास किया जा सकता है। मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूं और कमेटी के मेम्बरों की जो भावना है उसे मैं आपको बता रहा हूं। आपकी कैबिनेट के अंदर आर. कुमारमंगलम जी पावर मिनिस्टर हैं। श्री रंगराजन जी का खत मेरे पास है, उन्होंने एक लैटर भेजा है, इसमें उन्होंने रिकॅमेंड करके भेजा है कि इसमें यह तबदीली होनी चाहिए, ऐज स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन आप इसको देखिए। इसलिए मैं मंत्री जी से पूछ रहा था कि जब स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से इतने मैमोरैंडम मेरे पास आए हैं तो आपके पास भी दो-एक मशविरे जरूर आए होंगे। तमिलनाडु के बस ऑनर्स असोसिएशन - मैं सी.पी.एम.को बिलॉग करता हूं लेकिन मैं कह रहा हूं "ऑनर्स एसोसिएशन" - आपके दिल्ली के ट्रक ऑपरेटर्स, ऑल इंडिया के जो फैडरेशंस हैं, वे लोग कह रहे हैं। मैं एक छोटी सी चीज़ की ओर आपकी तवज्जो दिलाउंगा। मैडम,अगर आप बिल में देखें तो पेज-2 में जो सैक्शन-5 है - मंत्री महोदय, मैं आपकी भी तवज्जो चाहूंगा - आफ्टर सैक्शन "217"- जो अमैंडमेंट क्रने का प्रपोज़ल दिया जा रहा है, "217" को अमैंड करके "217-ए "लगाना चाहते हैं। 217-ए में क्या है:

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are referring to the original Bill.

SHRI MD. SALIM: Yes, the Bill, which has come. उसमें सैक्शन पांच में है। Section 5 intends to insert 217 A in the original Act. एक दम लास्ट में है। After 217 of the Principal Act, the following section shall be inserted, namely:- यहां जो दिया है, इसमें दिक्कत क्या आएगी, यह मैं बता रहा हूं। आप कह रहे हैं कि "Notwithstanding the repeal by sub-section (1) of section 217 of the enactments referred to in that sub-section, any certificate of fitness or registration or licence or permit issued or granted under the said enactments may be renewed under this Act." कितने हजार, कितने लाख वहीकल्स हमारे देश में है? हाऊ यू मेक, सबको फिर से जाना पड़ेगा। अगर उनके पास समय है भी, तो भी जाना पड़ेगा और उसके बाद जाकर उनको फिर से रिन्युअल करवाना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हं क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल ऐक्सपीरिएंस है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट का जो मोटर वहीकल्स का डिपार्टमेंट है, उसके बाजू में मैं रहता हूं और रोजाना सैंकड़ों गाड़ियों की इंस्पैक्शन के लिए और फिटनेस के लिए लाइन लगी रहती हैं - जो रैगूलर हैं, जिनका परिमट खत्म हो जाता है, फिर वह जाकर रिन्यू करवाती हैं। मैडम, बेरोजगारों को काम देने के लिए ऐसी स्कीम लाई गयी कि उनको टैक्सी देनी है। वे लोग कहते हैं कि आपने सब आसान कर दिया लेकिन हमें नयी टैक्सी खरीदकर मोटर वहीकल्स डिपार्टमेंट में जाकर ऐक्स्टा पांच हजार रुपये सिर्फ फिटनैस सर्टीफिकेट लेने के लिए देने पड़ते हैं। और आप - जितने मोटर वहीकल्स के ऑनर्स हैं - सबको एक अमैंडमेंट करके कह रहे हैं कि आप जाओ और फिटनैस सर्टीफिकेट लो। यह ब्यूरोक्रैटिक मामला है। मैं नहीं समझता कि मंत्री जी जानबुझकर ऐसा कर रहे हैं। जिस डिपार्टमेंट की ओर से यह बनाया गया है - केवल आपके डिपार्टमेंट में ही नहीं, पूरे स्टेट्स और यूनियन टैरीटरीज़ के तमाम मोटर वहीकल्स ऑफिसिज में कल से क्राउड हो जाएगा। तमाम बस और टक ऑपरेटर्स वहीं जाकर लाइन लगाएंगे क्योंकि यू हैव टू रिन्यू - जबकि यहां पर यह दिया है "रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस ओर परिमट ईशूड ओर ग्रांटिड" - यहाँ पर आप एक लफ्ज और लगा दें -"ओर रिन्यूड" जो रिन्य कर चके हैं - "अंडर दी सैंड सरकमस्टांसिज। " यहां पर फिर लिखा है "मे बी रिन्युड अंडर दिस ऐक्ट। " वहां पर होना चाहिए - एक लाइन का फर्क है - "Or renewed under the said enactments shall be deemed or have been issued or granted or renewed under this act." नहीं तो एक कानून आप यहां बदलेंगे और आप लाखों को. मिलियंस को फिर से बाध्य कर रहे हैं कि वे इंसपैक्टर के पास जाएं। आपका एल.पी.जी. और सी.एन.जी. का मामला तो ठीक है पर एक-आध शब्द इधर उधर होने से परेशानी हो जाएगी और में लिखकर दे रहा हूं कि जब सैशन खत्म हो जाएगा, मंत्री जी फिर आएंगे और वहाँ पर ऑर्डीनेंस करना पडेगा क्योंकि आप पर प्रैशर पडेगा. ट्रक ऑपरेटर्स स्टाइक पर जाएंगे, बस आपरेटर्स स्टाइक पर जाएंगे और फिर आप ऑर्डीनेंस ले आएंगे। उसके बाद बारगैनिंग होगी और ऑर्डीनेंस आएगा और फिर अगले सत्र मेंआप फिर से कानून पास कराएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से कैजअल अप्रोच से कानून में तबदीली नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सीरियसली होनी चाहिए। इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं - अगर मंत्री जी मान लेते हैं तो ठीक है -इसी तरह से और भी कई मामले हैं, मैंने केवल एक उदाहरण दिया है, तीन चार ऐसे मामले हैं - आप अगर इसे रटैंडिंग कमेटी के पास भेजते हैं. विदइन ए वीक ओर टैन डेज डयूरिंग सैशन, हमारी स्टेंडिंग कमेटी के तमाम मैंबरान इसे ऐजयजर्स फ्रेंडली करने के लिए, आसान करने के लिए नजर सानी करेंगे और इस सैशन का एक सप्ताह रहते रहते में रिपोर्ट यहां लाकर दंगा। उसके बाद आप इसे अमैंड कर लीजिए - इस कम्बर्सम प्रोत्तैस को अवायड करने के लिए - यही हमारी आपसे रिक्वैस्ट 81

उपसभापति : ये बड़ी फोरसाईट की बात कर रहे हैं। Mr. Salim, are you the Chairman of the Standing Committee? So, the Chairman is giving the assurance on the floor of the House that he is going to bring the Bill back to the House within this session. I think you can reconsider it because Mr. Dave also said the same thing. It is, of course, up to the House to decide. It is not my suggestion. But, I feel, this Bill is going to have repercussions nationally.

SHRI N.K.P. SALVE: (Maharashtra) The suggestion made is really a farsighted one. We are not opposed to this Bill excepting that it can be improved upon to make it user-friendly. If that be so, I urge upon the Minister to refer the Bill to the Standing Committee.

श्री नरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : मंत्री जी इस पर विचार कर लें, बात तो सही कही जा रही है।

SHRI N.K.P. SALVE: That will make no difference.

श्री नरेन्द्र मोहन: यह बाधा आ सकती है क्योंकि लोक सभा इसे पारित कर चुकी है।

उपसमापति : नहीं, कोई बाधा नहीं होगी। It does not make any difference because many a time...

SHRI N.K.P. SALVE: That does not make any difference and his suggestion is that we want to help him. We want to make this law more efficacious, more effective and more user-friendly and, I am sure, the Minister is an able man and he would not have any difficulty in referring the Bill to the Standing Committee.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Just because the Bill is passed by the Lok Sabha...(Interruptions)...Just one minute...(Interruptions)...Just because the Bill is passed by the Lok Sabha does not mean that it cannot be improved upon. If something, without any prejudice, is overlooked by some people in the Lok Sabha and if the Members of the other House are going into it, there is nothing wrong. And, that is the reason why we have two Houses. Any legislation, which comes from the other House or goes from here, should be reviewed again to see that it is not just a procedure, but it is a safeguard that any legislation which goes out should have the utmost foolproof. If the Minister considers it, it is good.

श्री बालकवि बैरागी: राजनाथ सिंह जी, आपको मान लेना चाहिए इस प्रस्ताव को।

श्री राजनाथ सिंह: वैसे भी इस मोटर व्हीकल्स ऐक्ट का जहां तक सवाल है, कोई बहुत ही कॉम्प्रिहेन्सिव और इंटीग्रेटेड बिल लाना तो संभव नहीं है क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेज़ हो रहे हैं और प्रदूषण के भी संकट पैदा हो रहे हैं, तो समय-समय पर कुछ ऐसे संशोधन करने की आवश्यकता होती है लेकिन जिस संशोधन की ओर हमारे सम्मानित सदस्य सलीम जी ने ध्यान आकर्षित किया है, उस संबंध में मुझे यह निवेदन भी करना है कि 1939 के मोटर व्हीकल्स ऐक्ट के अंतर्गत जिनको परिमेट अथवा लाईसेंस दिए गए थे, उनका रिन्यूअल 1988 में जो सेमी क्लॉज़ था, उसके अंतर्गत नहीं हो पा रहा था। उनके भी रिन्यूअल की व्यवस्था कर रहे हैं। सभी व्हीकल्स का सवाल कहां खड़ा होता है? इसलिए इसको स्टैंडिंग काउंसिल के समक्ष भेजने का कोई औषित्य मुझे दिखाई नहीं देता।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU (Pondicherry): If the licence is continued, it can be renewed. If the license lapsed...(Interruptions)... The Act is not saying that renewal of service licence...(Interruptions)... It has already lapsed...(Interruptions)...

श्री मोहम्मद सलीम : मैं समझता हूं कि मंत्री जी स्वयं देख लें और इस बारे में चर्चा करें तो बेहतर होगा।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: It should be 'continuous renewals'...(Interruptions)...

श्री राजनाथ सिंह: मैडम, मैं सम्मानित सदन को सूचित करना चाहता हूं कि और भी बहुत सारे संशोधन हमारे यहां विचाराधीन हैं। यदि कोई ऐसी विशेष जानकारी हमारे सम्मानित सदस्य मोहम्मद सलीम जी के द्वारा दी जाएगी तो हम आगे उस पर विचार करेंगे।

THE DEPUTY CHAIRMAN: It is for the House to decide because just before we took up the Bill, the Government came forward and said that they want to consider the suggestions made by the Members on the Security Guards and Agencies (Regulation) Bill, and they deferred it, and they are going to bring it, maybe day after tomorrow or next week. So, it is entirely up to the Members and the Government to consider. I feel a legislation going from our House should be a good legislation.

SHRI NILOTPAL BASU: The point is...(Interruptions)... Just one minute...(Interruptions)... One of the major purposes of creating the Standing Committee is to improve the quality of legislation. When something has been pointed out, it should be looked into. You cannot refuse it blatantly. I do not know why the Government cannot agree with the suggestion. It will be a much better Bill, if all of us go with the Bill.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Dave also made certain suggestions.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: मैंने जो सजेशन दिया, वह तो लगभग इसमें आ ही जाता है लेकिन एक छोटी सी बात जो सलीम जी ने कही, उसके बारे में राजनाथ सिंह जी ने एक्सप्लेन कर दिया है। जो व्हीकल्स 39 के ऐक्ट में रह गए थे, उनको भी ला रहे हैं, वह हो रहा है, कोई नई बात तो है नहीं।

श्री राजनाथ सिंह: महोदया, मुझे यह अनुरोध करना है कि यूजर्स के लिए इस नए सैक्शन को इन्टरोड्यूज करने के बाद यदि किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई पैदा होने की संभावना रहती तो मैं निश्चित रूप से स्टैंडिंग कमेटी के समक्ष भेजने के संबंध में अपनी सहमति देता। लेकिन इसको डिसाइड करने के बाद, कोई कठिनाई, कोई समस्या पैदा नहीं हो रही है।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU: Madam, I welcome the Bill. But with regard to some provisions, I am going to raise my objections. I am taking into consideration several factors, like facilities for passengers, freight convenience, development in automobile engineering, development of roads, and control of pollution. This amendment has been introduced by way of section 52. There was an Act of 1939, but that Act is not workable now. Therefore, a new Act was introduced in 1988. Several factors have been introduced under this Act. Subsequently, several amendments have also been made in that Act. But now, don't make this amendment for the purpose of pollution control, introduction of modern technology, and road safety only. Madam, the new section 52(1) which is proposed to be substituted for existing section 52 says, "Provided that where the owner of a motor vehicle makes modifications of the engine, or any part thereof, of a vehicle for facilitating its operation by different type of fuel or source of

energy including battery.....shall be carried out subject to such conditions as may be prescribed." So, it means, even if I want to change the battery of my vehicle. I will have to take the permission from the Regional Transport Authority. Madam, battery is used in vehicles for the purpose of electricity and also as a source of energy to run the vehicle. I would like to know whether I would have to take permission from the Regional Transport Authority to change the battery even if it is used for the purpose of This point is not clear. Then, Madam, 52(2) says. "Notwithstanding anything contained in sub-section (1), a State Government may, by notification in the Official Gazette, authorise subject to such conditions as may be specified in the notification, and permit any person owning not less than ten transport vehicles to alter any vehicle owned by him...." So, it means if a person is having ten transport vehicles, he can after the engine at any point of time and put the vehicle on road. He can intimate it to the Regional Transport Authority within a period of 14 days. If a person is having less then ten vehicles, he is not entitled to do that. It means, this Amendment Bill allows a person who is rich to make alterations in the engine. So, this clause should be reconsidered. Then, Madam, so far as 52(3) is concerned, instead of "any alteration made in motor vehicle", it should be "any alteration made in a transport motor vehicle". My next point is with regard to Clause 5, insertion of new section 217A, that is, renewal of permits, driving licences and registration granted under the Motor Vehicles Act, 1939. It says, "Notwithstanding the repeal by subsection (1) of section 217 of the enactments referred to in that sub-section, any certificate of fitness or registration or licence or permit issued or granted under the said enactments may be renewed under this Act.* But this section has not been properly worded. The reason is, if a person's permit, obtained under the Motor Vehicles Act 1939, is allowed to expire. he can, by virtue of the provisions of this Act, ask the Regional Transport Authority for renewal or for issuance of a new permit or for issuance of a fitness certificate for his vehicle. So, this section should be deleted, or this Bill may be referred to the Standing Committee. So far as other provisions are concerned, I support this Bill.

SHRI R. MARGABANDU (Tamil Nadu): This Act is only a piecemeal Act. There are problems of a greater dimension now; so this Bill has to be studied in depth and several amendments are required to be made in this Motor Vehicles Act. Since the passing of the original Act, several amendments have been made in order to cope with the problems, as and when they arose. I believe, this amendment has been brought in

view of the judgement passed by the Supreme Court that vehicles which are older than ten years should not be allowed for transport purposes. Perhaps, this Bill has been brought, with that in view. This Bill deals with a lot of things like air pollution, noise pollution, traffic congestion, etc. With the manufacture of all types of vehicles, of different sizes, standards etc., everything will have to be viewed in such a way that there should be a comprehensive Bill. And as suggested by one hon. Member, it should be referred to the Standing Committee. The Standing Committee can go into all the suggestions and a comprehensive Bill can be brought. Madam, a lot of motor vehicles are allowed to ply on the roads. But the road facilities have not been extended. A large number of vehicles are produced and no standard is fixed for the manufacture of these vehicles. Some vehicles are using adulterated kerosene, diesel and petrol and they are emitting smoke which is suffocating. This is the time when the Government should come forward to give instructions to the manufacturers that only such type of vehicles should be manufactured which do not create pollution. Licence should be granted only to those vehicles; otherwise, permission should not be granted. Indiscriminate production of all types of vehicles which cause air pollution should be avoided. It is the right time for the Government to see that there is a proper legislation in order to take action against those transport people who are plying those vehicles. These vehicles are polluting the air and are creating noise pollution also. The Government should think of taking some action against them. The Government should also think of the life of the vehicle. The life of the vehicle must also be restricted. The size of the vehicle has to be restricted because it causes obstruction to the free movement of vehicles on roads.

Also, the time-frame should also be decided. After using a vehicle for 10 or 15 years, it should be dismantled or dispensed with. Otherwise, if all types of vehicles are allowed to run on the roads, it will cause problems. As has already been said, . . . a vehicle for facilitating its operation by different type of fuel or source of energy including battery, compressed There is no doubt that this Act has been introduced with the laudable objective of controlling air pollution. But many more amendments are required to be made in this Act. This can be thought of by this Government. All other amendments can be thought of and it can be referred to the Standing Committee. The opinion of all the agencies can be called for. Operators and passengers and all other persons can be called and a comprehensive legislation can be brought by referring this Bill to the Standing Committee.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (Kerala): Thank you, Madam Deputy Chairperson, for giving me this opportunity to express my views in respect of the proposed amendment. First of all, I would say that the text of the amendment, and the aims and objectives of the proposed amendment are contradictory. Because the first caluse of the proposed amendment, that is, the new section 52(1) says "No owner of a motor vehicle shall alter the vehicle...." This is a general clause. Then, a proviso has been added to this clause. The proviso says "......for facilitating its operation by different type of fuel....." exemption can be granted. Who is the authority to give that exemption? It is the Central Government. My learned friend on the other side, the first speaker, has already submitted that the Central Government can grant exemption for alteration of vehicles in a manner other than specified above.

Now I come to sub-clause (2). This clause gives a special privilege to a person having more than ten transport vehicles. What is his special privilege? He need not get the approval from the registering authority. If you want to change or alter the character or the basic nature of your vehicle, the first condition is, you have to obtain the prior approval from the registering authority. But a person having more than ten transport vehicles is not required to obtain the prior approval from the registering authority. This is the first part of the proposed amendment.

Now I come to sub-clause (3). It says "Where any alteration has been made in motor vehicle without the approval of registering authority or by reason of replacement of its engine without such approval under subsection (2), the owner of the vehicle shall, within fourteen days of the making of the alteration, report the alteration to the registering authority within whose jurisdiction he resides....." Then what is the use of making all these clauses and provisos in Section 52(1)? As per sub-clause (3), if I am having a vehicle and I want to get it altered, then I need not get the prior approval from the registering authority. After the alteration, I can simply submit the information to the registering authority that I have altered my vehicle. Of course, the certificate of registration has to be handed over to it. Then what is the purpose, what is the intention of this proposed amendment? The whole text of the proposed amendment means that only an information is required to be furnished to the registering authority, so far as the alteration in the vehicle is concerned. Nothing else is required. As

per sub-clause (2), a special previlege has been given to a person having more than ten transport vehicles. In my State, so many cooperative societies are running transport business. Some societies are having 36-40 vehicles. I can cite so many examples. This is not a privilege. Everybody is having this simple right. They can have registration, they can have atteration; and, subsequently, they can make a reference to Registering Authority. That alone is enough. Therefore, the text of the legislation is confusing. The first part of the section is contradictory. I suggest that it should be referred to the Standing Committee. So many amendments are required to be made in the Motor Vehicles Act, 1988. After the 1949 Act a drastic amendment took place and the Motor Vehicles Act, 1988 came into force. Even now, so many legislations, so many amendments are required in the Motor Vehicles Act, because the circumstances have changed. A drastic amendment of Motor Vehicles Act is required. I would like to cite one example at this juncture. In the Motor Vehicles Act, 1988, there is one section, namely section 140 according to which an interim award is given injured persons by the Motor Accident Claims Tribunal (MACT), Madam, it is very said to note that on the basis of the judgement of the Supreme Court, in regard to those persons who have become the victims of motor vehicle accident, it is being barred for five years for getting compensation after the award is passed. Madam, it is not because of the fault on the part of the injured or the victim that even after the verdict from the courts or the tribunals, he is not getting it. An injured person who has been in bed for years is not getting the compensation on time. So, this problem is grave throughout the country. Madam, the Supreme Court has come to the conclusion and given this verdict because of the reason that so many malpractices are prevailing among advocates, clerks and middle-Due to all these reasons, the poor victims, the poor injured, are denied their legitimate rights, and they are not paid their claims on time. Sir, the very purpose of justice is defeated due to such delay. Similarly, a person who is injured in a motor vehicle accident and who is lying in bed for years, is not able to get the monetary compensation as awarded by the court. It is being denied. So, in order to overcome all these defects, I think a thorough change or an amendment is required in this regard for which detailed discussion is necessary. Madam, considering all these aspects, my suggestion, through you, to the Government is, let this Bill be referred to the Sanding Committee for a detailed consideration.

श्री विजय जे. दर्डा (महाराष्ट्र) : उपसभापति महोदया. मोटर यान (संशोधन) विधेयक. 2000 पर जो चर्चा हो रही है, उसमें मैं दो तीन मुद्दे आपके सामने रखना चाहंगा। माननीय मंत्री महोदय कुछ अमेंडमेंटस इसमें लाए हैं, इनके बारे में यह जानकारी प्राप्त नहीं हुई कि व्हीकल्ज की लाइफ क्या होगी, कार की लाइफ क्या होगी, टेक्सीज की लाइफ क्या होगी, बसेज की लाइफ क्या होगी। आज देखने में यह आता है कि उसके कारण एयर पोल्झन, ट्रेफिक कंजेश्न और नायज पोलुशन काफी बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ जैसे कि आपने सुझाव दिया स्कूलों की जो बसेज हैं उनके लिए एक ऐसा रंग किया जाए जिससे लोगों को सुविधा हो और उसकी पहचान हो सके। मैं यह भी चाहंगा कि जहां पर स्कुल हैं, अस्पताल हैं, वहाँ पर स्पीड लिमिट होनी चाहिये। हमने देखा है कि कई स्कूलों के बच्चे हादसों में मारे गये हैं। हमारे पास आज भी जो टेफिक सेंस होनी चाहिये, उसकी बहुत कमी है। उसका कारण यह है कि जिस ढंग से हम लोगों को लाइसेंस डश्य करते हैं. उसकी परीक्षा जिस ढंग से होनी चाहिये, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जो लाइसेंस चाहते हैं वह पैसे देते हैं और उनको लाइसेंस मिल जाता है। अगर हम लाइसेंस देते समय इसके ऊपर नियंत्रण रखें और सावधानी बरती जाए तो एक्सीडेंट्स के परिमाण में भी कमी होगी और विशेष रूप से जो स्कूली बच्चे एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, वह भी बच सकेंगे। साथ ही साथ, स्पीड लिमिट भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि स्कूलों के सामने जिस ढंग से व्हीकल्ज दौड़ते हैं दिनया के अन्य देशों में इसके ऊपर बहुत सख्ती बरती गई है, मैं चाहुंगा कि इसका यहां पर भी ध्यान रखा जाना चाहिये। जो व्हीकल हमारे देश में बनते हैं उसकी जो स्पेसीफिकेशन दी जाती है, उस पर भी ध्यान रखा जाना चाहिये। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि स्पेसीफिकेशन कुछ और दिया जाता है और गाड़ियों के इंजिन के स्पेसीफिकेशन में काफी अंतर देखने में मिलता है। इसलिए मैं चाहंगा उसकी और कानून में प्रावधान कर के जो गलत इनफारमेशन देता. है उसके ऊपर भी संख्ती किये जाने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में हम यह भी देखते हैं कि चुंकि हमारे यहां पर व्हीकिल्स की एज लिमिट नहीं है इसलिए जहां हम लोग प्रदेषण रोकने की बात कह रहे हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए हैजारडस है, इसके बावजद भी सरकारी गाड़ियों को आप देखिए कि वे कितना पाल्युशन क्रीएट करती हैं, ट्रक्स को देखिए वे कितना पाल्यशन क्रीएट करते हैं। इसलिए मैं चाहंगा कि माननीय मंत्री महोदय जी इस ओर भी थोड़ा अपना ध्यान दें और विशेष रूप से यह जो उम्र की बात है उस पर क्योंकि इसका संबंध हमारे देश की प्रतिष्ठा से भी है। इवन जो हमारे विदेशी मेहमान ट्रिस्ट बनकर यहां आते हैं जब वे मुम्बई में, दिल्ली में या कलकत्ता हवाई अड्डे पर उतरते हैं और जिन टैक्सियों का उनको सामना करना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है उसका भी उन पर असर पड़ता है। मैं चाहंगा कि इसके बारे में अगर कुछ आप कर सकें तो बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।

उपसभापति : मंत्री जी, बहुत सारे सजेशंस आ गए हैं अब आप कैसे अमेंडमेंट करेंगे।

श्री राजनाथ सिंह: महोदया, इस मोटर व्हीकिल अमेंडमेंट बिल पर हमारे सदन के 6 सम्मानित सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं - श्री दवेजी, जनाब मोहम्मद सलीम साहब, श्री मार्गबन्धुजी, श्री सी.पी. तिरुनावुक्कारासुजी, श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन and Lam forgetting the name of one of my respected member....

उपसभापति : श्री विजय दर्जा। वे न्यूजपेपर वाले हैं उनका नाम तो आपको पहले ही याद रखना चाहिए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (उत्तर प्रदेश): यूपीजी के मेम्बर हैं।

श्री राजनाथ सिंह: बहुत सारे सम्मानित सदस्यों ने तो इस संशोधन बिल का स्वागत किया है लेकिन कुछ सम्मानित सदस्यों ने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। जैसा मैंने पहले ही उल्लेख किया था महोदया कि यह बिल दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि बहुत ही कंप्रीहेंसिव बिल है क्योंकि जिस प्रकार से टेक्नालाजिकल डेवलपमेंट आज तेजी के साथ हो रहे हैं, प्रदूषण का संकट जिस तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, समय समय पर निश्चित रूप से मोटर व्हीकिल एक्ट में संशोधन की आवश्यकता होगी और प्रदूषण का जहां तक सवाल है आप स्वयं जानती हैं, पूरा सदन जानता है कि प्रदूषण को लेकर केवल हमारा देश ही चिंतित नहीं है बिल्क आज सारा विश्व चिंतित है। समय समय पर वर्ल्ड इकोलाजिकल कान्फ्रेंसेज किसी न किसी देश में हर हफ्ते हो रही हैं। इस सुरक्षा और प्रदूषण के संकट को विशेष रूप से ध्यान में रखकर ही यह संशोधन लाया गया है।

एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव महोदया आपकी तरफ से आया था। अब मैं अपने को बहुत असमंजस की स्थिति में पा रहा हूं। आपने स्कूल बसों के रंग के बारे में कहा। यह बात सही है कि कई देशों में इस प्रकार की व्यवस्था है कि जितने भी एजूकेशनल इंस्टीटयूशंस हैं उनकी बसेज का कलर लगभग समान होता है। लेकिन समस्या हमारे सामने यह है कि पालिसी और नाम्सं तो हम निर्धारित करते हैं लेकिन इनका एक्जीक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट्स के माध्यम से होता है। लेकिन चूंकि आपने कहा है इसलिए मैं निश्चित रूप से ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स से यह अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी स्टेट्स में जो एकेडिमिक इंस्टीटयूशंस हैं उनके द्वारा जो बसेज बच्चों के लिए, छात्रों के लिए प्रयोग में लायी जाती हैं उनका रंग एक पर्टिक्यूलर स्टेट में कम से कम एक हो। यह मैं उनसे आग्रह करूंगा।

हमारे सम्मानित सदस्य दवे जी ने कहा है कि यह इन्फारमेशन एण्ड टेक्नालाजी का युग है इसलिए ट्राफिक कंट्रोल सिस्टम कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए। उन्होंने एक दो उदाहरण भी दिए और स्वयं मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मुम्बई-पूणे की स्ट्रेच पर इसी प्रकार का ट्राफिक कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है। लेकिन आज जैसी हमारी सड़कों की हालत है यह किसी से छिपी नहीं है। सारे देश भर में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को लागू कर देना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन महोदया, आपको भी जानकारी है कि हमारी सरकार सड़कों की हालत को सुधारने के लिए किस प्रकार से कृतसंकल्प है और यहां तक कि दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई इन चारों मैट्रोपोलिटन सिटीज को 6 हजार किलोमीटर की 4 से 6 लेन की सड़क के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यह फैसला किया है कि 2003-4 तक हम इन चारों मैट्रोपोलिटन सिटीज को 6 हजार किलोमीटर की 4 से लेकर 6 लेन की रोड के माध्यम से जोड़ देंगे। इतना ही नहीं हम उत्तर भारत के उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से 7 हजार किलोमीटर की 4 से 6 लेन की रोड के माध्यम से जोड़ देंगे। जब हमारी इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें बन जाएंगी, इंटरनेशनल स्टेंडर्ड की तो मैं समझता हूं कि उस पर ट्राफिक कंट्रोल के लिए कंप्यूटराइज्ड सिस्टम का एप्लीकेशन कुछ ज्यादा व्यवहारिक होगा।

उपसभापति : दिल्ली में एअरपोर्ट के पास जो नाका है, जो 12 बजे के बाद ट्रॅक छूटते हैं, वहां कोई कंट्रोल नहीं है। इंटरनेशनल एअरपोर्ट पर दूसरे देश से आने में लोगों को शायद उतना समय नहीं लगता होगा जितना कि यहां पर एअरपोर्ट से आने में लगता है। एअरपोर्ट से यहां आने में तीन-तीन, चार-चार घंटे लगते हैं। यह तो यही हो रहा है और यह हमारे ज्यूरिसडिक्शन में भी है। आपको इन छोटी-छोटी चीज़ों पर तो ध्यान देना ही पड़ेगा।

श्री राजनाथ सिंह : ठीक है, महोदया। यैसे कंप्यूटराइज़ेशन सिस्टम के नेटवर्क को देश भर में फैलाया जाए इस पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्ज़ की, जून के महीने में, दिल्ली में जो कांफ्रेंस हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने विचार किया था और सभी मिनिस्टर्ज़ की इस मुद्दे पर सहमति भी थी। इसलिए जैसा आपने स्झाव दिया है उस दिशा में हम प्रयत्नशील हैं।

सम्मानित सदस्य दवे जी ने यह भी कहा है कि स्कूल बसों द्वारा जो परिमेट लेने की हमारी व्यवस्था है उसमें उनसे फीस नहीं ली जानी चाहिए, उन से कोई शुल्क नहीं लेना चाहिए, तो मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा और जैसा मैंने पहले कहा कि पालिसी और नॉर्ज़ निर्धारित करना तो सैन्ट्रल गवर्नमेंट का काम है लेकिन इसका एक्सीक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। मैं यह सुझाव अपनी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स के सारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्ज़ को दूंगा कि यदि वे कर सकते हों तो परिमेट की कोई फी वे निर्धारित न करें।

आपने संदेह च्यक्त किया है कि आप यह अमेंडमेंट बिल तो पारित करा लेंगे, एक्ट बन जाएगा, लेकिन रूल्ज आप जल्दी नहीं बनायेंगे। आपने शायद पिछले एक्ट का हवाला भी दिया था। मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहूंगा कि जहां तक मेरी जानकारी है 1988 का जो एक्ट बना था, उसके बनने के 6-7 महीने के अंदर ही रूल भी बना दिया गया था। उस 1988 के एक्ट के मामले में तो 6-7 महीने लग गए थे, लेकिन मैं यह कोशिश करूंगा कि हो सके तो इस अमेंडमेंट बिल के बाद महीने दो महीने के अंदर ही रूल बन जाएं। इंजन के हॉर्स पॉवर के बारे में भी आपने चिंता व्यक्त की थी कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इस अमेडमेंट बिल में उसकी व्यवस्था तो हमने कर ही दी है। इसलिए इस संबंध में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए।

कुछ आपने बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधनों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। एक तो आपने एट पेज 2 इन लाइन 7 में कहा है कि "or any other fuel or source of energy" be deleted. तो प्रश्न यह खड़ा होता है कि लेजिएलेशन में प्रोपोण्ड इसलिए इनकामीरेट किया गया है ताकि जिस प्रकार की टैक्नोलोजीकल इम्पूवमेंट तेजी के साथ हो रही हैं, उसके लिए समय-समय पर अमेंडमेंट बिल लाने की आवश्यकता न हो। इसीलिए हमने इस बिल में other fuel or source of energy की चर्चा कर दी है। यदि हमने इसमें कंप्रैस्ड नेचुरल गैस, सोलर पॉवर, लिक्चिड पेट्रोलियम गैस, बैटरी तक ही इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो नए प्रयूल के लिए फिर से अमेंडमेंट लाने की आवश्यकता होगी। इसलिए ब्रोडर एयूचरिस्टिक एप्रोच हमने अपनायी है। इसीलिए हमने इसमें other fuel or source of energy की चर्चा की है।

आपने दूसरे अमेंडमेंट में, पेज़ 2 पर लाइन 13 की चर्चा की है कि वहां पर after the words "Central Government" the words "or the State Government, as the case may," be inserted. यह आपने कहा है। इस संबंध में मुझे अनुरोध करना है कि इस सैक्शन 52 के अमेंड करने के पीछे बेसिक आइडिया यह है कि रपेसेफिक परपज लाइक डीसेंस रेक्वायरमेंट या और किसी नए रिसर्च और डिवेलपमेंट परपज़ के लिए यदि आवश्यक हो तो वह आल्टेशन किया जा सके।

तीसरी बात आपने कही है एट पेज 2 इन लाइन 20 कि after the words "motor vehicle" the words "transport vehicle or orthopaedic vehicle, as the case may be" be inserted. इस संबंध में मैं अनुरोध करना चाहंगा कि मोटर व्हीकल एक्ट के सैक्शन 2 के सब सैक्शन 28 में यह वैल डिफाइन है और इसमें मोटर व्हीकल को जिस रूप में डिफाइन किया गया है उसमें सभी प्रकार के मोटर व्हीकल्ज आ जाते हैं। माननीय सदस्य का यह भी कहना है कि उस अमेंडमेंट में आर्थोपेडिक व्हीकल, ये दो वर्डस अलग से इंटोड्यस कर दिए जाने चाहिए। महोदया, आर्थोपेडिक व्हीकल तो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं है. लेकिन इसी प्रकार के वडर्स इनवैलिड कैरीज मोटर व्हीकल्स में डिफाइंड है जिन का प्रयोग फिजीकली डिसएबल्ड पर्सन्स के द्वारा होता है। इसलिए इस पर्टिकलर वर्ड को उस में इंट्रोड्यूस करने का प्रथम खडा नहीं होता।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Invalid motorised carriage or the other one?

SHRI RAJNATH SINGH: Motorised one, not the bicycle one.

महोदया, कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि 10 व्हीकल्स को आप अपने ही वर्कशाप में सेम मेक और टाइप एंजिन में परिवर्तित करने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन दूसरे व्हीकल्स को नहीं दे रहे हैं। मैं बताना चाहंगा कि हनारी अपेक्षा यह है कि जिन के पास 10 मोटर ब्हीकल्स या उस से अधिक मोटर व्हीकल्स होंगे, उन का अपना वर्कशाप होगा। लेकिन यदि वर्कशाप नहीं है तो चाहे एक हो अथवा 10 हों. उन को किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए हमारी रजिस्टरिंग अथॉरिटी या जो भी हमारी मोटर व्हीकल अथॉरिटी हो. उस से परमीशन सीक करनी पड़ेगी।

महोदया, मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वरत करना चाहुंगा कि इस एक्ट में रूल बनाते समय हम इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि युजर्स के समक्ष कोई विशेष कठिनाई पैदा न होने पाए। अभी जिस सेक्शन 217 की चर्चा हो रही थी कि आप ने 217 (ए) क्यों जोड़ी तो मैं इस संबंध में कहना चाहूंगा कि जिन का रिनुअल सेक्शन 217 के अंतर्गत नहीं हो पाता है तो यह सेक्शन 217 (ए) इंट्रोड्यूस करने के बाद उन के परिमेट और लाइसेंस का रिन्अल हो राकेगा। इसलिए हम ने जो कुछ भी संशोधन किया है वह यूजर्स की स्विधा को ध्यान में रखते हुए किया है।

महोदया, मार्गबंध जी ने कनवर्सन ऑफ एंजिन्स के बारे में कहा कि एंजिन से भिन्न किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, यह मैं मार्गबंधु जी को बतलाना चाहता हूं और यदि वह संक्शन 52 के सब सेक्शन 1 में जो प्रोविजो दिया है, उसे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि एंजिन से भिन्न अगर कोई परिवर्तन करना चाहता है तो उस में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इस के अतिरिक्त में सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जैसा कि मैं ने पहले भी कहा था कि समय-समय पर मोटर व्हीकल एक्ट में प्रदूषण और सुरक्षा - इन दो बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। हमारे यहां अन्य बहुत सारे संशोधन अभी विचाराधीन हैं और जब भी आवश्यकता होगी, हम वह संशोधित बिल लेकर सदन के समक्ष आएंगे ।

SHRI P.N. SIVA: May I know from the Minister whether permission has to be taken for any change?

SHRI RAJNATH SINGH: Not for any change. Only for the engine. महोदधा, और जो सुझाव आए हैं, उन के संबंध में मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम उन पर विचार करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात अभी ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में कही गयी। यह बात सच है कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आज जो रूल्स/रेगुलेशंस हैं, उन को और अधिक स्ट्रिंजेंट बनाने की आवश्यकता हम महसूस करते हैं क्योंकि आज हम जानते हैं कि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लिया होगा भले ही उन को गाड़ी चलानी न आती हो। महोदया, इस संबंध में भी हमारा मंत्रालय गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है क्योंकि मुझे दूसरे देशों की जानकारी है जहां ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मैं ने मलेशिया में भी देखा। यदि एक बार कोई ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में फेल हो जाता है तो दोबारा से उस को 6-7 दिन की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और एक साधारण एकजाम भी देना पड़ता है। जब वह उस में पास होता है तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस के संबंध में हमें अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है, यह हम महसूस करते हैं और हम इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ इस से ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सभी सम्मानित सदस्यों से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि कृपया इस विधेयक को सर्वानुमति से पारित करने का कष्ट करें।

उपसमापति : खास तौर से ब्लू-लाइन और रेड-लाइन बसेस के ड्राइवर्स को ट्रेनिंग जरूर करा दी जाए और उन का टेस्ट भी लिया जाए क्योंकि लोग सड़क पर पैदल निकलने में डरते हैं। They are killer buses.

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अगर वह ट्रेंड न हों तो अपने ट्रेंड ड्राइवर्स भी कुछ नहीं कर सकते।

श्री विजय जे. दर्डा : ऐजिंग के बारे में मैं जानना चाहता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN; The older the car, the more vintage it becomes.

श्री राजनाथ सिंह: महोदया, मैंने स्पष्ट कर दिया है कि माननीय सदस्यों के द्वारा अन्य बहुत सारे बहुमूल्य सुझाव आए हैं, उन सारे सुझावों पर मैं विचार करुंगा और जैसा मैंने कहा है कि समय-समय पर, आवश्यकतानुसार संशोधन की आवश्यकता होती है। जब भी आवश्यक होगा, मैं संशोधन का बिल लेकर सदन के समक्ष आऊंगा।

SHRI C.P. THIRUNAVUKKARASU; Madam, the Supreme Court has already said that old vehicles should not be on the road. (Interruptions). This is more important. The Supreme Court has said that old vehicles should not be there on the road. In the margin of the Bill, it is stated that if a fitness certificate has been obtained under the 1939 Act, that vehicle can be brought. If a fitness certificate is obtained for the

vehicle under the 1939 Act, after the Act of 1988, will it not be old? Can renewal be made? (Interruptions).

°श्री मोहम्मद सलीम : मैडम, एक तरफ ऐजिंग का सवाल पूछा गया, दूसरी तरफ मंत्री जी कह रहे हैं कि 1939 के एक्ट के मुसाबिक जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, 1988 के मुताबिक वे स्निय नहीं हुए। रौक्शन 217 हमने इसलिए दिया कि वे रिन्यू कर सकें। इसका मतलब है कि वे ऐटलीस्ट 50 इयर्स ओल्ड है, अगर हम मंत्री जी के हिसाब से भी देखे तो। आप ऐजिंग के सवाल पर कहते हैं कि हम विचार करेंगे और 1939 के एक्ट के मुताबिक जो रजिस्टर्ड व्हीकल्स ऐटलीस्ट 349 हैं, जो सर्टिफिकेट आफ फिटनेस के लिए थे, उनकें लिए आप कह रहे हैं कि हम 217 (ए) करके उन्हें फिर से रिन्यू करने के लिए दे रहे हैं। इसका मतलब है कि ऐटलीस्ट यू आर ऐलाविंग 50 इयर्स ओल्ड। जबकि मेरा आरग्युमेट यह नहीं था, मंत्री जी अपने जवाब में यह कह रहे हैं। आप समझ सकती हैं कि हुए कहाँ जा रहे हैं। अनलैस यू ऐप्लाई युअर गाइंड सीरियसली।

SHRIMATI BIMBA RAIKAR (Karnataka): The Minister should try to take care of the road accidents because the truck drivers are always drunk. Per night, there are at least 3-4 accidents in a range of 500 kilometres. All the trucks try to overtake. Even innocent bus drivers, car drivers, become victims. Sometimes, the main driver takes rest and makes the cleaner drive the vehicle. This is how so many accidents have taken place. I am also a victim of that. It is my experience. So, I want to tell you that something should be done for that because immediately after the accident, there is no relief to the victim. There would not be any ambulance. And nobody would touch the victim and take him to a hospital because of police harassment. That is why I say that the Minister has to take particular care about the accidents. We have got only one road. We do not have three or four roads so that there would be 'no-entry' or something.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have concluded the discussion. If you were so keen, if you had given me the name, I would have definitely permitted you because there was no lady speaker on this Bill. Now that we have another Short-Duration Discussion at 4 o'clock, we have to go ahead with it.

SHRIMATI BIMBA RAIKAR: Madam, it should be made a criminal offence.

THE DEPUTY CHAIRMAN: He cannot do it.

^{*}Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate

4.00 P.M.

***श्री मोहम्मद सलीम** : मैडम, मंत्री जी को कोई ऐश्योरेंस, कोई जवाब तो देना चाहिए. जो प्वाइंट रेज़ किया गया है, इस पर मैं आपकी प्रोटेक्शन चाहता हूं।

मैडम, अगर आप स्टेटमेंट आफ ऑब्जेक्शन्स एंड रीज़न्स देखें, जब यह बिल इंट्रोडयूस हुआ था, मंत्री जी ने सही कहा था, उसमें नं. 4 में यह लिखा है :-

No.4. It is also proposed to allow renewal of permits, driving licences and registration certificates granted under the Motor Vehicles Act, 1939 to be renewed under the Motor Vehicles Act, 1988 by inserting a new section 217A.

मंत्री जी अभी भी यही कह रहे हैं। लेकिन हमने यह कहा कि इसमें कुछ ऐम्बिग्विटी है। ऐम्बिग्विटी यह है कि आप इसमें जो प्रषोज़ कर रहे हैं मे बी रिन्यूड करके, आप तो वहां नहीं मिलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट का कोई इंस्पेक्टर मोटर व्हीकल का वहां मिलेगा और वह यह कहेगा कि नया कानून आ गया है इसलिए फिर से फिटनेस सीर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। आप ऐश्योरेंस दे दीजिए क्लीअर कट कि जिन लोगों को लाइसैंस मिल गया है, उन सर्बकों फिर से फिटनेस टैस्ट नहीं लाना पड़ेगा, 1988 के मुताबिक जिन लोगों का फिटनेस टैस्ट नहीं हुआ है, यह केवल उन्हीं के लिए है। इतना भी अगर आप केटेगोरिकली बोल देंगे तो ऐम्बिग्विटी खत्म हो जाएगी।

उपसभापति : मंत्री जी ऐश्योरेंस दे रहे हैं।

श्री राजनाथ सिंह: महोदया, सलीम साहब द्वारा जो शंका व्यक्त की गई है, उसका समाधान मैंने अपनी कनक्लूडिंग स्पीच में कर दिया है और मैं समझता हूं कि बार-बार इसका उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हां, एक शंका अभी व्यक्त की गई है कि 1939 का जो ऐक्ट है, उस ऐक्ट के तहत जिन लोगों को परिमट मिले थे, अब उनका रिन्युअल हो रहा है और गाड़ी 50 साल पुरानी हो गई है। मैडम, ऐसा नहीं है। मैडम, 1939 का जो मोटर व्हाईकल ऐक्ट था, वह 1988 के मोटर व्हाईकल ऐक्ट द्वारा पूरी तरह से रिप्लेस हो चुका है और रिजस्ट्रेशन परिमट ऐक्ट के अंतर्गत गाड़ियां रिप्लेस होती रहती हैं। इसलिए यह कहना कि 50 साल पुरानी गाड़ियों को लाइसेंस और परिमट दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। यह बात सही है कि रिन्युअल के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। जब तक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं मिलता है, तब तक उसका रिन्युअल नहीं होता है। इसलिए हम ध्यान रखेंगे कि जिन गाड़ियों के चलने से सड़कों पर दुर्घटनाएं हो जाएं, प्रदूषण बढ़े, ऐसी गाड़ियां सड़कों पर न चलें, यह व्यवस्था हम स्निश्चित करेंगे।

श्री प्रमोद महाजन : वैसे अगर कोई गाड़ी 50 साल से ज्यादा पुरानी हो तो मुझे बता दीजिए, उसके बहुत खरीदार मिलते हैं। मैडम, सी साल पुरानी, डेढ़ सी साल पुरानी गाड़ियों के बहुत खरीदार मिलते हैं।

^{*}Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

उपसभापति : विंटेज हो जाती है। इस बहरा से मैं यह समझ पाई हूं कि जो ऐक्ट बनता है यहां, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसको ऐप्लाई करती है Then you can take the protection and it is within your hand. But the Motor Vehicles Act will be applied by the State Governments. So, you will have to write to the Transport Ministers and those people that this is the Act, this is the explanation, this should be applied in letter and spirit so that the protection is there. That is the only concern, because it is not just the Central Government only; the State Governments have to apply it, as you have mentioned in your speech.

Now, the question is:

That the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1988, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill. In respect of Clause-2, there are three amendments by Shri Anantray Devshanker Dave. Do you want to move them?

SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE (Gujarat): Madam, I am not moving.

Clause 2 was added to the Bill.

Clauses 3 to 5 were added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री राजनाथ सिंह: महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:-

" इस विधेयक को पारित किया जाए ''।

The question was put and the motion was adopted.

SHORT DURATION DISCUSSION

On the fall in the prices of agricultural produce resulting In huge monetary losses affecting the earnings of the Farmers

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (पंजाब) : महोदया, आज हम इस अल्पकालिक चर्चा के माध्यम से किसानों की पैदावार और उनकी उपज की गिरती हुई कीमतों के परिणामस्वरूप भारी आर्थिक नुकसान से उनकी आर्थिक स्थिति पर होने वाले दुष्प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं। महोदया, मैं अपने तजुर्बे के आधार पर कहता हूं कि देखने की बात यह है कि क्या किसान ज्यादा कीमत